

83/160

14708/11



75 उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8 226359




विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि-	रु0 5,00,000/-
बाजारु मूल्य -	रु0 3,12,000/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प-	रु0 35,000/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - बिजनीर
3. ग्राम - हसनपुर खेवली

A. रामकृष्ण

प्रश्नी 14/11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

053724

- 2 -

4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 698सं रकबा 0.217 हे०, खसरा संख्या 698सं रकबा 0.251 हे०, कुल रकबा 0.468 हे० का 1/6 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.078 हे० स्थित ग्राम-हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।
5. मापन की ईकाई - हेक्टेअर
6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.078 हेक्टेअर
7. सडक की स्थिति - सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक
8. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि

मुख्यालय



पि. 21/4/2024

1000/13/01

yodhary

Q

9. पेड़ों की स्थिति - कुछ नहीं है।
10. बोरिंग / कुआं अन्य - कुछ नहीं है।

चौहद्दी खसरा नं० 698सं

उत्तर : खसरा संख्या-696
दक्षिण : खसरा संख्या-699
पूरब : खसरा संख्या-697
पश्चिम : चकरोड

चौहद्दी खसरा नं० 698सं

उत्तर : खसरा संख्या-696
दक्षिण : खसरा संख्या-699
पूरब : खसरा संख्या-697
पश्चिम : चकरोड

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	ः	क्रेता का विवरण
रामकुमारी पत्नी शंकरलाल पुत्री गोकुल निवासिनी ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	:	पृथ्वीपाल पुत्र गिरधारी लाल निवासी- मकान नं० 282, मयाराम खेड़ा, मजरा कोटिया बिंदकी जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- गृहणी		व्यवसाय- कृषि

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख रामकुमारी पत्नी शंकरलाल पुत्री गोकुल
निवासिनी ग्राम- हसनपुर खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला
लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेताकहा गया है एवम् पृथ्वीपाल पुत्र गिरधारी

पृथ्वीपाल



रामकुमारी

लाल निवासी- मकान नं० 282, मयाराम खेड़ा, मजरा कोटिया बिंदकी जिला फतेहपुर जिन्हें आगे केता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 698सं रकबा 0.217 हे०, खसरा संख्या 698सं रकबा 0.251 हे०, कुल रकबा 0.468 हे० का 1/6 भाग अर्थात् विक्रीत रकबा 0.078 हे० स्थित ग्राम- हसनपुर खेदली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00041 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है और विक्रेता को उक्त भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा केता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। उक्त भूमि सीलिंग, पट्टे, भूदान व ग्राम समाज की भूमि नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू० 5,00,000/- (रू० पाँच लाख मात्र)



मयाराम खेड़ा

पुष्पिका



के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जायें तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है।



रश्मि कृष्णा

रश्मि कृष्णा



यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेताभुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर खेवली अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू० 40,00,000/- प्रति हेक्टेअर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.078 हेक्टेअर की मालियत रू 3,12,000/- होती है चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू० 35,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पडने पर काम आवे।


N Singh

सुल्तानपुर

विक्रय पत्र

500,000.00/ 312,000.00 10,000.00 20 10,020.00 1,000
 फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लगभग

प्रतिफल मालियत
 श्रीमती रामकुमारी
 पत्नी श्री शंकरलाल

श्रद्धासाय गृहिणी

निवासी स्थायी ग्राम हसनपुर खेवली पर, बिजनौर, लखनऊ

अस्थायी पता
 ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/10/2011 समय 4:37PM
 इसी निबन्धन हेतु पेश किया

13



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी
 उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ
 13/10/2011

निष्पादन लेखपत्र बाद मूनेने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु इलेखानुसार उक्त
 विक्रेता

श्रीमती रामकुमारी
 पत्नी श्री शंकरलाल
 पेशा गृहिणी
 निवासी ग्राम हसनपुर खेवली पर, बिजनौर, लखनऊ

13

श्री पृथ्वीपाल
 पुत्र श्री गिरधारी लाल
 पेशा व्यापार
 निवासी 282, मयाराम खेडा मजरा कोटिया बिदकी
 जि. फतेहपुर



पृथ्वीपाल



ने निष्पादन लोकार किया ।

दिनांक पहचान श्री वी.आर.शर्मा
 पुत्र श्री ए.आर.शर्मा
 पेशा व्यापार

B/S

निवासी 18 मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ

व श्री हजारी लाल रायत
 पुत्र श्री स्व.सुकई प्रसाद रायत

हजारी लाल रायत

पेशा व्यापार

निवासी ग्राम सुरियामऊ लखनऊ

ने की

प्रत्यक्षत पद माशियों के निशान अंगूठे निष्पानुसार लिखे गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. द्विवेदी
 उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ
 13/10/2011

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू० 5,00,000/- द्वारा चेक संख्या-309587 दिनांकित 13.10.2011 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ केता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य रू० 5,00,000/- (रू० पाँच लाख मात्र) केता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेतास्वीकार करता है तथा अब कोई धनराशि विक्रेता को केता से लेना शेष नहीं है।

लखनऊ:

दिनांक : 13.10.2011

गवाह :

1. B. R. Sharma
S/O L. A. R. Sharma
18, M. N. M. Road
Lakhnau



विक्रेता

2. इ. ग. लाल शर्मा
H/o रू० सुकंदी लखनऊ
पता: सुकंदी
पिन- 226001
लखनऊ

केता
- प्रदीप -
प्रदीप

टाईपकर्ता:-

(लखनेन्द्र सिंह)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता:-

(प्रदीप कुमार सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, लखनऊ

विकेता

Registration No.: 14708

Year: 2011


Book No.: 1

0101 रामकुमारी

शंकरलाल

ग्राम हसनपुर खेपली पर. विजयनगर, लखनऊ

गुरिणी



क्रेता

Registration No. : 14708

Year : 2,011

Book No. : 1

0201 पृथ्वीपाल

गिरधारी लाल

282, नवशराम खेड़ा नजरा कोटिया बिंदकी जि. फतेहपुर

व्यापार



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा-32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स
 विक्रेता का नाम व पता:- रामकुमारी पत्नी शंकरलाल पुत्री गोकुल निवासिनी ग्राम- हसनपुर
 खेवली, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।
 बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता के हस्ताक्षर

क्र्रेता का नाम व पता:- पृथ्वीपाल पुत्र गिरधारी लाल निवासी- मकान नं0 282, मयाराम खेड़ा,
 माजरा कोटिया बिंदकी जिला फतेहपुर।
 बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



क्र्रेता के हस्ताक्षर

पृथ्वीपाल

आज दिनांक 13/10/2011 को
बही सं. 1 जिल्द सं. 13297
पृष्ठ सं. 27 से 44 पर क्रमांक 14708
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



पी. के. द्विवेदी

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

13/10/2011

